

**जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पूसा, सगरतीपुर।**  
**कोटेशन आमंत्रण सूचना**

संख्या - 445

दिनांक - 24/06/2023

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, महेन्द्र, पटना के पत्रांक-C/07-T/E-2023/331 दिनांक-26.06.2023 के निदेशानुसार समग्र शिक्षा अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों का पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिनांक-04 जुलाई 2023 से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पूसा, सगरतीपुर में संचालित किया जाना है। यह प्रशिक्षण कई चरणों में संचालित किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षण चरण में लगभग 100-110 प्रशिक्षु शिक्षक भाग लेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्णतः आवसीय होगा। उक्त संचालित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों के लिए भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जानी है। भोजनादि, आवासन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु इच्छुक एजेन्सी से निम्नांकित दर एवं शर्त के आधार पर कोटेशन आमंत्रित किया जाता है :-

**1. भोजनादि व्यवस्था के लिए :**

- I. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, महेन्द्र, पटना के ज्ञापांक: 1212 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा भोजन हेतु 270/- (GST रहित) अधिकतम प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दर से निर्धारित किया गया है। उक्त निर्धारित दर के अतिरिक्त नियमानुसार GST देय होगा।
- II. भोजन की व्यवस्था करने वाले एजेन्सी/संचालक को सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं रात्रि का भोजन के साथ दो बार चाय और बिस्कुट देना अनिवार्य होगा। भोजनादि की व्यवस्था के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था एजेन्सी के द्वारा करना अनिवार्य है।
- III. कोटेशन दाता अपने कोटेशन के साथ Breakfast, Lunch, Dinner एवं चाय, बिस्कुट इत्यादि का 06 दिनों का मेनू आईटमवार संलग्न विहित 'प्रपत्र-A' में उपलब्ध करायेंगे। गुणवत्ता एवं उत्तम Menu देने वाले एजेन्सी का चयन किया जाएगा।
- IV. भोजन की व्यवस्था देने वाले एजेन्सी/संचालक को भोजन के उपयोग में आने वाले सभी सामग्री यथा, बर्तन, भोजन सामग्री इत्यादि का प्रबंध स्वयं करना होगा।
- V. भोजन व्यवस्था के संचालक को भोजन एवं भोजन निर्माण स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं करानी होगी एवं इसका अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- VI. भोजन व्यवस्था हेतु चयनित संचालक को प्रतिभागियों के साथ उत्तम व्यवहार/बर्ताव करना अनिवार्य होगा। जो भी निर्मित खाद्य सामग्री की माँग की जाएगी उसे उपलब्ध (Serve) कराना अनिवार्य होगा।

**2. आवासन व्यवस्था :**

- I. निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् बिहार, महेन्द्र, पटना के ज्ञापांक: 1212 दिनांक 13.06.2023 के द्वारा आवासन व्यवस्था हेतु Rs. 100/- प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की दर से निर्धारित है। आवासन व्यवस्था हेतु इच्छुक कोटेशन दाता/एजेन्सी को सभी आवश्यक सामग्री यथा चौकी/बेड, बेडशीट, गद्दा, तकिया, दरी, मच्छरदानी, पंखा इत्यादि की व्यवस्था करनी होगी। निर्धारित दर के अतिरिक्त नियमानुसार GST देय होगा।
- II. आवासीय व्यवस्था हेतु दिये जाने वाले सभी सामग्री यथा तकिया, गद्दा, बेडशीट इत्यादि साफ-सुथरा होना अनिवार्य है।

3

- III. सभी सफाई योग्य सामग्रियों का प्रत्येक चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने से पूर्व साफ-सफाई कराना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई सामग्री गन्दा हो जाता है तो तुरन्त धुला हुआ साफ सामग्री उपलब्ध कराना होगा।
- IV. आवासीय व्यवस्था हेतु उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री के आइटम की महतम संख्या जिसके अलग-अलग दर की कुल राशि 100/- तक होगा, के आधार पर एजेन्सी का चयन किया जाएगा।
- V. कोटेशन दाता संलग्न विहित 'प्रपत्र-B' में आवासन हेतु सामग्रियों का विवरण उपलब्ध करायेंगे।

### 3. प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए कुर्सी, टेबुल, पंखा, जेनरेटर हेतु :

- VI. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यकतानुसार एक या दो जेनरेटर भाड़ा पर लिए जाने की आवश्यकता है। जेनरेटर डीजल रहित एवं मानव संसाधन सहित उपलब्ध कराना होगा और जेनरेटर की दर GST सहित होगा। इसके अतिरिक्त लगभग 50 Table और 150 कुर्सी की आवश्यकता है। इन सामग्रियों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ भी सकती है। इच्छुक कोटेशन दाता द्वारा प्रतिदिन का प्रति कुर्सी/प्रति टेबुल/प्रति जेनेटर दर कोटेशन के साथ अंकित करना अनिवार्य है। कोटेशन दाता संलग्न विहित 'प्रपत्र-C' में प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए सामग्रियों का विवरण उपलब्ध करायेंगे।


सामग्रियों का दर GST सहित होगा। सामग्री की संख्या एवं दर के आधार पर एजेन्सी का चयन किया जाएगा।

### कोटेशन दाता हेतु आवश्यक निर्देश :-

- (i) एजेन्सी के संचालक के पास GST, PAN No. एवं आधार कार्ड होना आवश्यक है।
- (ii) कोटेशन दाता को ITR देना अनिवार्य है।
- (iii) फूड लाईसेन्स वाले एजेन्सी को भोजनादि व्यवस्था हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।
- (iv) उपर्युक्त कंडिका संख्या 1, 2 एवं 3 के लिए अलग-अलग कोटेशन सिलबंद लिफाफे में प्राप्त किया जाएगा।
- (v) कोटेशनदाता एजेन्सी को सूचित किया जाता है कि अपना कोटेशन दिनांक-30.06.2023 के अपराहन 02 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (vi) चयनित एजेन्सी को प्रशिक्षण में प्रतिभागियों की उपस्थिति की वास्तविक संख्या के आधार पर भोजनादि एवं आवासन राशि का भुगतान किया जाएगा।
- (vii) कोटेशन दाता/एजेन्सी संचालक का चयन होने के उपरान्त कार्यादेश दिया जाएगा। कार्यादेश उसी शर्त पर दिया जायेगा जब इस आशय का शपथ पत्र दें कि कोटेशन में निर्धारित दर एवं शर्त से सहमत हूँ एवं भोजनादि, आवासन की गुणवत्ता, प्रशिक्षण हॉल एवं मेस में कुर्सी, टेबुल की व्यवस्था इत्यादि में कमी पाये जाने पर संस्थान द्वारा यदि मेरे कार्यादेश को निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कोटेशन आमंत्रण सूचना को निरस्त करने अथवा संशोधित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

  
27/06/2023  
प्राचार्य

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट),  
पूसा, समस्तीपुर।

  
27/06/2023



भोजनादि व्यवस्था के अन्तर्गत सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, चाय बिस्कुट आदि एवं रात का भोजन हेतु प्रत्येक दिन का Menu

**प्रपत्र –A**

दिन	सुबह का नाश्ता	चाय बिस्कुट आदि	दोपहर का भोजन	चाय बिस्कुट आदि	रात का भोजन
प्रशिक्षण के पूर्व संध्या	-----	-----	-----	-----	
पहला दिन					
दूसरा दिन					
तीसरा दिन					
चौथा दिन					
पाँचवा दिन					-----

## आवासन हेतु सामग्री का विवरण

### प्रपत्र – B

क्र०सं०	सामग्री का विवरण	कोटेशन दाता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले सामग्री की सहमति	दर GST रहित	GST दर	दर GST सहित
1.	चौकी / बेड				
2.	गद्दा / डनलप गद्दा				
3.	बेडशीट				
4.	तकिया				
5.	दरी				
6.	मच्छरदानी				
7.	पंखा				
कुल राशि					

जेनरेटर/प्रशिक्षण हॉल एवं मेस व्यवस्था के लिए कुर्सी, टेबुल, पंखा हेतु :

**प्रपत्र – C**

क्र०सं०	सामग्री	GST रहित दर	GST	GST सहित दर
1.	कुर्सी			
2.	टेबुल			
3.	पंखा			
4.	जेनरेटर			
	कुल राशि			